न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 30/2018

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

1गोविन्दराम लोहिया पुत्र हरीकिशन जाति माहेश्वरी
निवासी हाथी चौक, नागौर।
फर्म–मैसर्स गोविन्दराम एण्ड कम्पनी, जेठा मार्केट, नागौर।
2लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम
निवासी पितीवाडा, नागौर।
फर्म–मैसर्स लक्ष्मीनारायण भवानीशंकर, विश्वकर्मा मार्केट,
देहली दरवाजा रोड, नागौर।
3प्रसन्नचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल चौरडिया
निवासी–388, पुलिस थाने के पीछे, वार्ड नं. 9 गोरेडीचांचा डेगाना
फर्म–मैसर्स ओसवाल एजेन्सी, रंगधर्मशाला मार्केट, डेगाना।
4रिकबचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल चौरडिया
निवासी–गोरेडीचांचा डेगाना जिला नागौर।
फर्म–मैसर्स आर.आर.सेल्स, द्वितीय तल, नानी बाई की पोल,
घण्टाघर के पास, जोधपुर।
5मोहन सेम्यूल पुत्र सेम्यूल
निवासी–3 चन्द्रप्रभु सोसायटी, गायत्री मंदिर के पास,
कालोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) 382721।
फर्म–मैसर्स जे.आर.जे फूड प्राइवेट लि., प्लाट नं. 314–315,
फेज–प्रथम, जीआईडीसी, छत्राल, तालुका–कालोल
जिला गांधीनगर (गुजरात) 382729
6 फर्म–मैसर्स जे.आर.जे फूड प्राइवेट लि., प्लाट नं. 314–315,
फेज–प्रथम, जीआईडीसी, छत्राल, तालुका–कालोल
जिला गांधीनगर (गुजरात) 382729

आदेश

दिनांक : 17-01-2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-12-2017 को मैसर्स गोविन्दराम एण्ड कम्पनी, जेठा मार्केट, नागौर पर खाद्य पदार्थ Sugar boiled Confectionery (Milk 'O' Milk) Michi's में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 934 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 1197/एक्ट/2017/02 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना Sugar boiled Confectionery (Milk 'O' Milk) Michi's मिस–ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण गोविन्दराम लोहिया पुत्र हरीकिशन निवासी नागौर, लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम निवासी नागौर, प्रसन्नचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल निवासी गोरेडीचांचा, डेगाना, रिकबचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल निवासी गोरेडीचांचा, डेगाना, मोहन सेम्यूल पुत्र सेम्यूल निवासी – 3 चन्द्रप्रभु सोसायटी, गायत्री मंदिर के पास, कालोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) 382721 तथा फर्म–मैसर्स जे.आर.जे. फूड प्राइवेट लि., प्लाट नं. 314–315 फेज–प्रथम, जीआईडीसी, छत्राल, तालुका–कालोल जिला गांधीनगर (गुजरात) 382729 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-08-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 दिनांक 11.01.2019 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए तथा इसके पश्चात न तो अप्रार्थीगण उपस्थित हुए है और न ही उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किये गये।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सुनवाई के दौरान दिनांक 11.01.19 को न्यायालय मे उपस्थित हुए है। जिन्हे अवसर दिये जाने के उपरांत भी कोई जवाब / प्रतिवाद प्रस्तुत नही किये जाने से परिवादी द्वारा की गई कार्यवाही सही होना ही प्रतीत होता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1197/एक्ट/2017/02 दिनांक 02.01.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sugar boiled Confectionery (Milk 'O'

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्थान)

Milk) Michi's का नमूना Mis-Branded पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. गोविन्दराम लोहिया पुत्र हरीकिशन निवासी नागौर पर 20,000/– रू. अक्षरे बीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 2 लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम निवासी नागौर पर 30,000/– रू. अक्षरे तीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 3 प्रसन्नचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल निवासी गोरेडीचांचा, डेगाना पर 40,000/– रू. अक्षरे चालीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 4 रिकबचंद चौरडिया पुत्र हस्तीमल निवासी गोरेडीचांचा, डेगाना, पर 50,000/– रू. अक्षरे पचास हजार रू. तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 मोहन सेम्यूल पुत्र सेम्यूल निवासी – 3 चन्द्रप्रभु सोसायटी, गायत्री मंदिर के पास, कालोल, जिला गांधीनगर (गुजरात) 382721 तथा फर्म–मैसर्स जे.आर.जे. फूड प्राइवेट लि., प्लाट नं. 314–315 फेज–प्रथम, जीआईडीसी, छत्राल, तालुका–कालोल जिला गांधीनगर (गुजरात) 382729 पर संयुक्त रूप से 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख रू. कुल 2,40,000/– रू. अक्षरे दो लाख चालीस हजार रू. शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)